न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित श्री लक्ष्मी कान्त शुक्ल, एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 202 सन् 2023

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 2960 सन् 2023

CNR No. UPLP 0100 5924 2023

1–अहमद हुसैन आयु लगभग 70 वर्ष
2–जाबिर अली आयु लगभग 68 वर्ष पुत्रगण अली असगर
3–नाजिर अली आयु लगभग 43 वर्ष
4–राहत अली आयु लगभग 31 वर्ष पुत्रगण जाबिर अली
5–सुल्तान आयु लगभग 40 वर्ष
6–सद्दाम आयु लगभग 26 वर्ष पुत्रगण अहमद हुसैन
7–नूरे आजम आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र साबिर अली
निवासीगण ग्राम रसूलपुर, मजरा पिपरांवा थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोगी।

परिवाद सं0–4111/2019
धारा 436 भा0द0स0,
थाना फरधान, जिला–खीरी।

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अहमद हुसैन, जाबिर अली, नाजिर अली, राहत अली, सुल्तान, सद्दाम व नूरे आजम की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र परिवाद सं0–4111/2019 धारा 436 भा0द0स0, थाना फरधान, जिला–खीरी के मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है न निरस्त हुआ है और न ही लम्बित है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा व अभियुक्तगण एक ही गांव के निवासी है। वादी सहित उसके पड़ोसी मजीद, मैराज से अभियुक्तगण काफी समय से रंजिश मानते है। वादी लगभग 7 वर्ष से ग्राम प्रधान की सहमति व इजाजत से गांव के बाहर तालाब की जमीन पर वादी, मजीद व मैराज ने खर फूस के टटिया वगैरह से बनाकर निवास करते हैं। अभियुक्तगण भी तालाब की अधिकांश जमीन पर कब्जा किए हुए है। दिनांक 28–06–2019 को 12.30 बजे दिन जब वादी घर पर नही था अभियुक्तगण लाठी डन्डा लेकर आ गए औरतो को जाबेजा गालिया देने लगे और मना करने पर छप्परनुमा घर मे आग लगा दी, जिससे उसके घर का सारा गृहस्थी का सामान जल कर नष्ट हो गया।

4– मैने, प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय

अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5— प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगर्ण निर्दोष है। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को रंजिश के आधार पर झूठा फसाया है। असत्य कथनो के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। मामले मे धारा 202(1) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत थाने से आख्या आहूत की गयी थी, पुलिस आख्या के अनुसार आग बिजली से लगना पाया गया था। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आंशका है कि उन्हे पुलिस पकड़ सकती है जिसके लिए पुलिस दविश दे चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सम्भ्रांत नागरिक है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति के भारत नही छोड़ेगे, और अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

6— जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा अग्रिम जमानत का घोर विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

7— उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिसमें मामला परिवाद पर संस्थित है। धारा 202(1) द0प्र0सं0 के अधीन थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार वादी मुकदमा के घर मे उसके द्वारा स्वंय बिजली कटिया कनेक्शन लगा होने के कारण स्पार्किग से आग लगी है। वादी द्वारा थाने पर झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया और असफल होने पर न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया है, जिसे बाद मे परिवाद के रूप मे दर्ज किया गया है। प्रार्थी नूरे आजम की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसके द्वारा परिवादी के विरूद्ध सरकारी तालाब की जमीन को स्वंय की जमीन पर कब्जा किए जाने के बाबत् प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिनांक 25—06—2019 को, उपजिलाधिकारी को दिनांक 25—07—2019 और पुनः जिलाधिकारी को दिनांक 25—07—2019 को प्रार्थना पत्र दिए गए थे, जिस पर जांच हुयी, जिस पर स्थानीय लेखपाल व कानूनगो आदि की रिपोर्ट अंकित की गयी और तालाब के कुछ भाग पर मजीद, शरफुद्दीन, मेराज के छप्पर पड़े होने और उसी पर निवास करने की बात कही गयी है। उसी तालाब के आंशिक भाग पर प्रार्थी नूरे का भी कब्जा पाया गया और जिन्हे एक सप्ताह के अन्दर अपना अपना कब्जा खाली करने को कहा गया, जबकि प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) द0प्र0सं0 दिनांक 14—08—2019 को प्रस्तुत किया गया है आदि के

दृष्टिगत मामले के गुण–दोष पर अभिमत व्यक्त किए बिना न्यायालय अग्रिम जमानत हेतु मामला उपयुक्त पाता है।

<u>आदेश</u>

8– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अहमद हुसैन, जाबिर अली, नाजिर अली, राहत अली, सुल्तान, सद्दाम व नूरे आजम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को निम्न शर्ते पूरी करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है।

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0–50,000/–रू0 का स्वबंध पत्र व समान राशि की दो दो विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित न्यायालय मे उनकी संतुष्टि की निष्पादित की जाय।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछतांछ किए जाने हेतु स्वंय उपस्थित होंगे।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
JO Code UP 6549

दिनांक–21.08.2023

Digitally signed by LAKSHMI KANT SHUKLA
Date: 2023.08.21 15:00:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court